संख्या : 3/2022/बी-1-103/दस-2022

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 22 फरवरी, 2022

विषय : पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले पुनर्विनियोग के प्रस्तावों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है । इससे राज्य का वित्तीय प्रबन्धन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है । इससे यह प्रतीत होता है कि पुनर्विनियोग के प्रस्ताव अपरिहार्य व्ययों हेतु नहीं प्रस्तुत किये जाते हैं अपितु वित्तीय वर्ष के अन्त में विभिन्न मदों में होने वाली बचतों को उपभोग करने के उद्देश्य से किये जाते हैं । अन्तिम माह में पुनर्विनियोग प्रस्तावों की अधिक संख्या के कारण वित्त विभाग के स्तर पर उसका विस्तृत परीक्षण किया जाना कठिन हो जाता है । अतः वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि व्यय करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है ।

2- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनाँक 22 मार्च, 2021 के प्रस्तर-9 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी न की जाय ।

3- उपरोक्त वस्तुस्थिति तथा राज्य के सुचारू कैश प्रबन्धन के दृष्टिगत वित्त विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 की शेष अवधि में केवल वचनबद्ध / अपरिहार्य व्ययों से सम्बन्धित पुनर्विनियोग के प्रस्तावों पर ही विचार किया जायेगा । अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 की शेष अवधि में केवल वचनबद्ध / अपरिहार्य व्ययों से सम्बन्धित पुनर्विनियोग के प्रस्ताव ही वित्त विभाग को प्रेषित किये जायें ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीया,

एस.राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 3/2022/बी-1-103(1)/दस-2022, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
(2) प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(4) वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(6) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।